

जातिगत संघर्ष के केंद्र में तालाब एवम् मौजूदा जल संकट (बिहार के मीव-सुखारीपुर गांव का संदर्भ)

आलोक कुमार

शोध छात्र, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान झूँसी, प्रयागराज

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 13 March 2019

Keywords:

जातिगत संघर्ष, जल-संकट, वंचित समुदाय, त्रासदी, सार्वजनिक संपत्ति, आजीविका।

ABSTRACT

यह पेपर बिहार के मीव-सुखारीपुर गांव के क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित है। विभिन्न सामाजिक समूहों के साक्षात्कार के आधार पर यह देखने को मिला कि तालाब की आवश्यकता लोगों की समृद्धि के अनुसार तय होता है। वह तालाब जो कभी वंचित समुदायों के लिए आजीविका का साधन रहा है, वह आज इसके लगातार अवनयन के कारण जातिगत संघर्ष का केन्द्र बन गया है। वे जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य स्रोतों से कर लेते हैं, उनके लिए तालाब महज जमीन का टुकड़ा है! तथा वे इसे अवसर के नज़रिए से देखते हैं और तालाब को मिट्टी से भरवा कर सब्जी की खेती करते हैं। तथा जिनकी जरूरतें अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए त्रासदी है!! इस अवसर और त्रासदी के खेल में तालाब जातिगत संघर्ष का केन्द्र बन गया है। तालाब को पाट दिए जाने की वजह पूरा गांव अभूतपूर्व जल संकट का सामना कर रहा है। बिहार के गांव न केवल अपनी गैरजिम्मेदार हरकतों की सज़ा भुगत रहे हैं, बल्कि सरकार की उदासीनता का परिणाम भी झेल रहे हैं।

परिचय

1968 में प्रसिद्ध अमेरिकी पर्यावरणविद और दार्शनिक गैरेट हार्डिन ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण वंचित समुदायों के लिए त्रासदी है¹। सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर तालाब आजीविका का साधन होने के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरणविद पैट्रिक गेडेस (1915) ने भी तालाबों और पोखरों के संरक्षण और देख-रेख की सिफारिश की है। शहरों द्वारा संसाधनों का दोहन करने की तरीके को समझाते हुए शहरी जिंदगी को देहातों की जिंदगी से जोड़ने की माँग की है।² अनुपम मिश्र (1993) ने जल संकट का सामना कर रहे गाँवों के उद्धार के रूप में तालाब को परिभाषित किया है। पेयजल सिंचाई के लिए पानी के विविध प्राचीन और आधुनिक महत्व पर प्रकाश डाला है।³ साथ ही साथ बढ़ रही औद्योगिक संस्कृति के कारण तालाबों की दुर्दशा पर भी बात की है। पर्यावरणविद रामचन्द्र गुहा (2006) ने बाँधों, राजकीय वनों, तालाबों तथा जीव संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की है ताकि पर्यावरणीय प्रभाव व सतत विकास के नज़रिए से सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण और उचित वितरण पर बल दिया जाए।⁴ गुहा पर्यावरणवादी दार्शनिकों और कार्यकर्ताओं का जीवन चरित पेश करते हैं तथा बुनियादी सवाल भी पूछते हैं कि एक इंसान या देश को कितना उपभोग करना चाहिए⁵?

पेपर वंचित समुदाय के लिए तालाबों की उपयोगिता को देखने के साथ-साथ तालाब के कारण हो रहे जातिगत संघर्ष को भी समझने का प्रयास करता है। यह भी अध्ययन के केन्द्र में है कि तालाब के विलुप्त होने से कैसे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है?

इतिहास

सतत विकास के तौर पर तालाब न केवल मानव के लिए वरन् सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है। रामायण से लेकर महाभारत काल तक तालाबों का इतिहास मौजूद रहा है। तालाब निर्माण में समाज के प्रत्येक जाति का योगदान है। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर प्रचलित कहानियाँ कहावतें आदि परंपरा में मौजूद हैं। एक कहावत है तालाब के बारे में कि "हजार साल गड़ा, हजार साल पड़ा, और हजार साल खड़ा"⁶।

बिहार में तालाबों के आस-पास पूरी संस्कृति ही बसती है। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक तालाब जन-जीवन, पर्यावरण, धर्म-संस्कृति, और वंचित समुदाय के लिए आजीविका का साधन रहा है। बिहार में तालाबों को 'पोखरा' ताल तथा छोटे तालाब को 'गवही' नाम से भी जाना जाता है। पोखरा प्रायः छोटे तालाब को ही कहते हैं।⁷ बिहार में तालाब ने अपने आस-पास जीवन को बनते, विकसित होते और बसते देखा है। जिसका जितना निकट सम्बंध, जितना स्नेह रहा उसने अपने मन से उसका

¹ गैरेट हार्डिन, ट्रेजडी ऑफ द कॉमन

² राम चन्द्र गुहा, उपभोग की लक्ष्मण रेखा

³ अनुपम मिश्र, 'आज भी खरे हैं तालाब'

⁴ राम चन्द्र गुहा, उपभोग की लक्ष्मण रेखा

⁵ राम चन्द्र गुहा, उपभोग की लक्ष्मण रेखा

⁶ अनुपम मिश्र 'आज भी खरे हैं तालाब' पृष्ठ 48

⁷ चकबंदी विभाग, बिहार सरकार कैमूर भभुआ

नामकरण किया। भाषाओं, बोलियों, धार्मिक रीति-रिवाजों, संस्कारों में तालाब के नामकरण का संसार भरा पड़ा है। तालाब सतत विकास का एक बेजोड़े नमूना है जहां से न केवल लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं, वरन् उनका समाज, उनकी संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म, गुरुर, स्वाभिमान सब कुछ इसके परिधि के इर्द-गिर्द ही घूमती है।

अध्ययन क्षेत्र में तालाब

अध्ययन क्षेत्र भभुआ ब्लॉक के मीव सुखारीपुर गांव में कुल नौ तालाब मौजूद हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 20 एकड़ में फैले हैं।⁸ यहाँ तालाबों को स्थानीय भाषा में कई नाम से सम्बोधित किया जाता है। जो तालाब बड़े हैं और सरकारी जमीन पर हैं तथा जिस तालाब पर किसी एक का मालिकाना हक नहीं होता अर्थात् वह सार्वजनिक संपत्ति संसाधन का हिस्सा है, उसे 'गैर मजरूआ सर्व साधारण' कहा जाता है।⁹ सरकारी भाषा में जो तालाब किसी समुदाय विशेष का हो परन्तु सरकारी हो, उसे 'गैर मजरूआ आम' कहा जाता है।¹⁰

एक तालाब का प्रकार 'गैर मजरूआ खास' भी होता है, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। यह तालाब भी पहले सरकार की जमीन पर ही था पर इसका कागज यदि कोई अपने नाम से बनवा लेता है तो वह 'आम' से 'खास' हो जाता है।¹¹ बिहार के ग्रामीण इलाके में कुछ तालाबों को 'पोखर' नाम से जानते हैं। जो सरकारी फाइलों में भी इसी नाम से दर्ज होते हैं।¹² इसके अलावा यदि बहुत छोटे क्षेत्रफल पर कोई तालाब होता है या चकबंदी के बाद कई जमीनों का टुकड़ा मिलकर एक तालाब के रूप में बच जाता है तो उसे 'चक' कहा जाता है।¹³ जैसे आम बोल चाल की भाषा में बिहार के तालाबों को 'ताल' कहा जाता है।¹⁴ शोध क्षेत्र में लगभग 3000 की जनसंख्या पर कुल 20 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ताल, पोखर, गवही आदि के रूप में तालाब फैले हैं जो इस गांव की समृद्धि विकास एवं सतत विकास के लिए पर्याप्त हैं। परन्तु काश, ऐसा धरातल पर भी होता! यह सारे तालाब सरकारी कागजों में फल-फूल रहे हैं पर जनता के लिये उपलब्ध नहीं हैं।

मीव-सुखारीपुर: तालाबों का विवरण

क्र०सं०	थाना नं० 752	खाता संख्या 248/247	नाम	तालाब का प्रकार	क्षेत्रफल
1	तदैव	248	चक	गैर मजरूआ सर्व साधारण आम	1 एकड़ 94 डिसमिल
2	तदैव	692/719	ताल	तदैव	एक एकड़ 95 डिसमिल
3	तदैव	737/818	ताल	तदैव	2 एकड़ 95 डिसमिल
4	तदैव	920/2038	ताल	तदैव	2 एकड़ 27 डिसमिल
5	तदैव	922/971	पोखर	तदैव	7 एकड़ 23 डिसमिल
6	तदैव	948/1088	ताल	गैर मजरूआ अनावाद सर्वसाधारण	1 एकड़ 20 डिसमिल
7	तदैव	1116/1942	ताल	गैर मजरूआ अनावाद सर्वसाधारण	3 एकड़ 87 डिसमिल
8	तदैव	1312/1573	पोखर	गैर मजरूआ अनावाद सर्वसाधारण	3 एकड़ 87 डिसमिल
9	तदैव	806/852	गवही	सर्वसाधारण खाश	89 डिसमिल

स्रोत: बिहार सरकार चकबन्दी विभाग

वर्तमान स्थिति

मीव सुखारीपुर गांव के वे सारे तालाब जो सरकारी कागजों में अस्तित्व में हैं, उनमें से एक तालाब को छोड़कर सभी तालाब मृतप्राय हो चुके हैं।¹⁵ तालाबों की दशा इतनी दैयनीय है कि या तो उसका अस्तित्व ही नहीं है।¹⁶ तालाब की दयनीय स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो तालाब समृद्धि के, संस्कृति के प्रतीक के रूप में होता है, वहाँ खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है! तालाब की जगह पर कूड़े का ढेर, सब्जी की खेती, मंदिर निर्माण से कब्जा और तो और सरकार खुद ही इसका अतिक्रमण कर वहाँ पर पम्पसेट लगवाने के लिए गृह निर्माण भी करा चुकी है।¹⁷ आम जनों की कौन सुने सरकार स्वयं अतिक्रमण के खेल में हिस्सेदार है!!

आज मीव-सुखारीपुर गांव के अधिकांश तालाब अतिक्रमण की चपेट में आकर अस्तित्व विहिन हो चुके हैं। तालाब के नाम पर कुछ बचा है तो छोटे-छोटे गढे, बद्बुदार पानी! लोगों के घरों के गंदे पानी की निकासी का साधन, बीमारियों का

⁸ चकबंदी विभाग, बिहार सरकार, भभुआ कैमूर .

⁹ चकबंदी विभाग, बिहार सरकार, भभुआ कैमूर

¹⁰ वहीं

¹¹ साक्षात्कार के आधार पर (प्रेम चंद पाण्डेय)

¹² चकबंदी विभाग, बिहार सरकार, भभुआ कैमूर

¹³ वहीं

¹⁴ साक्षात्कार के आधार पर

¹⁵ क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर


¹⁶ वहीं

¹⁷ वहीं

पिटारा और सतत विकास का कब्रगाह। तालाब अपनी दुर्दशा के आँशू रो रहा है। और दुःख की बात यह है कि उस तरफ न तो आमजनों का, न प्रशासन का और न पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान है ताकि उसका उद्धार हो सके।¹⁸

विभिन्न समुदायों की जल स्रोतों पर निर्भरता						
			वर्ग			कुल
			सामान्य	ओ.बी.सी	एस.सी	
जल स्रोत	कुआँ	कुल संख्या	2	3	0	5
		%	4.0	6.0	0.0	10.0
	हैन्ड पम्प	संख्या	6	7	5	18
		%	12.0	14.0	10.0	36.0
	तालाब	संख्या	0	12	15	27
		%	0.0	24.0	30.0	54.0
कुल	संख्या	8	22	20	50	
	%	16.0	44.0	40.0	100.0	

स्रोत: फिल्ड सर्वे मीव-सुखारीपुर



समुदायों की जल स्रोतों पर निर्भरता। स्रोत: फिल्ड सर्वे मीव-सुखारीपुर

जतिगत संघर्ष

मीव सुखारीपुर गांव में तालाब के कब्जे को लेकर हमेशा ही दलितों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष की नौबत बनी रहती है। दरअसल गांव की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि तालाब गांव के बीचों बीच है। एक ओर से दलित बस्ती है तथा दूसरी ओर ब्राह्मण बस्ती है। चूंकि दलित हमेशा ही गांव के दक्षिण तरफ रहते हैं। तो यहां भी स्थिति इसी प्रकार की है। गांव में दलितों की संख्या ज्यादा है और ब्राह्मणों की अपेक्षाकृत कम है। परन्तु दलित पढ़े लिखे नहीं हैं और न ही जागरूक हैं। ब्राह्मण पढ़े लिखे, चालाक किसिम के हैं। वे तालाब के जमीन पर कब्जा जमाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, जैसे वे बड़े ही चालाकी से तालाब के जमीन को पाट कर वहां मंदिर निर्माण कर दिए हैं। ताकि प्रशासन धर्म के नाम पर ज्यादा हस्तक्षेप भी न कर पाए और दलित जाति इस चालाकी को समझ भी न पाए। आए दिन मार-पीट गाली-गलौज तथा जातिगत वर्चस्व की जंग चलती रहती है। साक्षात्कार के दौरान बात करते हुए गांव के बुजुर्ग दलित झंगुर राम जो कभी गांव के सरपंच भी हुआ करते थे, बताते हैं कि "ब्राह्मणों ने दलितों के पेट पर लात मारने का पुरा जुगाड़ कर रखा है। दलितों के यहां खेत भी नहीं है कि वे मिट्टी काटकर तालाब भर सकें। इसके उलट ब्राह्मण तालाब में जब पानी कम हो जाता था, तब मिशन ने तौर पर इसे भरने के एक सूत्रीय कार्यक्रम में लग जाते थे।" ब्राह्मणों ने अपने घर के सामने के तालाब के हिस्से को तेजी से भरते हुए बिल्कुल दलितों के पास चले गए हैं। जो संघर्ष की असली वजह है। इन भरे हुए जमीन में ब्राह्मण सब्जी उगाते हैं। अगर दलित समाज का कोई लड़का चला जाता है तो फिर झगड़े की नौबत आ जाती है। चूंकि दलित संख्या में अधिक हैं और स्थानीय स्तर पर तो भारी पड़ते हैं। पर केस-मुकदमें में लगने वाले पैसे तथा प्रशासन का सहयोग न मिलने के कारण दब जाते हैं और ब्राह्मणों द्वारा अन्याय स्वीकार कर लेते हैं।

जलस्तर का लगातार कम होना

तालाब के विलुप्त होते रहने से न केवल धार्मिक सांस्कृतिक क्षति है, वरन् गांव में जल संकट भी गहराने लगा है। इस पर अपने अनुभव साझा करते हुए गांव के दिनेश्वर साहू, सुरेश पासवान, विनोद पासवान, कमलेश कहार आदि ने एक सुर में सुर मिलाते हुए बताते हैं कि जब पहले तालाब भरा रहता था तो लगभग आज से 10 से 15 वर्ष पहले गांव के हर हैण्डपम्प से सालों भर पानी निकलता था। वर्षात के दिनों में तो लगता था कि एक दो बार 'कल' चलाने पर बाल्टी भर जाता था। बिहार में

¹⁸ वहीं

स्थानीय स्तर पर हैण्डपम्प को 'कल' भी कहते हैं। आज स्थिति यह है कि गर्मी शुरू होते ही गांव के आधे से अधिक हैण्डपम्प बेकार हो जाते हैं उन्हें दोबारा तभी शुरू किया जा सकता है जब वर्षात शुरू हो जाती है। जो लोग संभ्रत हैं अथवा पैसे वाले हैं वे तो गहरा बोरिंग करा लिए हैं पर जिनके पास पैसे का आभाव है, उनके लिए पीने के पानी का भी संकट हो जाता है। फिर नहाने धोने की बात करना तो दूर है। गांव में अब पानी की समस्या पर बात तो शुरू हो चुकी है। तालाब के तरफ ध्यान कम ही लोगों का जाता है कि इसके वजह से समस्या शुरू हुई है। वर्ष 2011 के पूर्व मॉनसून जल स्तर के आंकड़े बताते हैं कि जिले में जल स्तर की गहराई 5.96 और 12.3मीटर बीजीएल के बीच बनी हुई है।


2011 के लिए पूर्व और मानसून के बाद के मौसम के लिए जल स्तर के मानचित्र और गहराई चित्र तालिका में प्रस्तुत की गई है।

भौम जल स्तर भभुआ

महीना	जलस्तर		0-2 मी0		2-5 मी0		5-10 मी0		10-20 मी0	
	कम	अधिक	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
मई-2011	5.96	12.30	0	000	0	0.00	8	88.89	1	11.11
अगस्त-2011	2.58	6.02	0	0.00	6	75	2	25	0	0
नवम्बर-2011	3.62	6.35	0	66.67	4	66.67	2	33.33	0	0
जनवरी-2012	3.74	6.54	0	0.00	2	50	2	50	0	0


स्रोत: बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग 2011

मानसून के पहले का जल स्तर



स्रोत: बिहार सरकार, कैमूर जल विभाग 2011

मानसून के बाद का जल स्तर



स्रोत: बिहार सरकार, कैमूर जल विभाग 2011

बिहार सरकार के एक सर्वे में भभुआ ब्लाक में घटते जल स्तर पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि मानसून से पहले यहां का भूजल स्तर 5.69 मीटर से 12.3 मीटर की गहराई तक रहता है। मानसून आने के बाद यह 3.62 से 6.35 मीटर पर आ जाता है।

ऑकड़ों से साफ है कि मई आते-आते कम और अधिक के बीच जल स्तर में दुगने से भी अधिक की गिरावट हो जाती है। अगस्त में जल स्तर काफी ऊपर आ जाता है तथा इसका प्रभाव जनवरी तक रहता है। पुनः मई आते-आते काफी बढ़ जाता है और अगस्त तथा मई के बीच जलस्तर में लगभग तीन गुना बढ़ जाता है।¹⁹ गांव के लोगों से भी इस संकट का आभास हुआ और वे भी खाशा प्रभावित दिखे।

आपात स्थिति से निपटने में कठिनाईयाँ

गांव में तालाब न होने से दो और मुख्य स्तर की समस्या सामने आई। गांव के लोग अनुभव के आधार पर गाँव में आग लगने की समस्या पर तालाब न होने का भारी नुकसान होने की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा की गांव के एक सवर्ण जाति से सम्बंध रखने वाले मुन्ना पाण्डेय के यहां धान के बोझ में आग लग गई, उस समय तालाब मौजूद था तो गांव के सभी वर्ग के लोग अपने-अपने घरों से बाल्टी लेकर निकले और तालाब से पानी लेकर आग पर काबू पर लिया गया इससे नुकसान कम से कम हुआ। अब यदि ऐसी समस्या आ जाए तो कल से पानी चलाकर बुझाना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी समस्या यह है कि तालाब सूखने की स्थिति में या नहर का पानी समय से न मिलने की स्थिति में सिंचाई का सबसे सुरक्षित साधन होता है अब तालाब न होने की स्थिति में कभी-कभी फसल को समय पर पानी नहीं मिल पाता जिससे सबका नुकसान होता है।

सरकारी उदासीनता

गाँव के कुछ लोग जो जागरूक हैं और पढ़े-लिखे हैं तथा तालाब होने के महत्व को समझते हैं वे इन सारी समस्याओं के लिये सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। इनमें से गांव के श्री भगवान पाण्डेय, श्रीकांत पाण्डेय, परशुराम पाण्डेय तथा ओबीसी समुदाय से शुकर साहू, लक्ष्मण साह आदि नौकरी करते हैं तथा पढ़े-लिखे हैं उनका मानना है कि यदि सरकार चाहे तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। सरकार योजनाएँ तो बनाती है पर उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सरकार ने तालाब निर्माण के लिए साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण हेतु तालाब क साथ-साथ मछली पालन की योजनाएँ तो बनाती है। पर उसका क्रियान्वयन नहीं होता। सरकार की एक योजना है नर्सरी तालाब का निर्माण। इसमें अधिकतम 50 डिसमल तथा न्यूनतम 8 डिसमल जल क्षेत्र में नर्सरी तालाब का निर्माण करना सुनिश्चित है। प्रति इकाई लागत एक लाख इक्यावन हजार प्रति 50 डिसमल जलक्षेत्र के लिए है। इसमें अनुदान की राशि के साथ-साथ अग्रिम अनुदान की सुविधा भी सुनिश्चित है। सरकार यह भी दावा करती है कि उपर्युक्त अवयवों का लाभ उठाकर अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं पर यह विडम्बना यह है कि ये वादे सरकारी दस्तावेजों और चिट्ठियों में ही सिमट कर रह गया है। कहाँ यह धरातल पर आकर ले पाता है? इतना ही नहीं सरकार के अधिकारियों से बात करने पर गोलमोल जवाब देते हैं और बहाना बनाते हैं कि ठेकेदार ने काम नहीं शुरू किया तो सरकार की क्या गलती अध्ययन क्षेत्र के बिहार सरकार अधिकारी तालाब एवं मत्स्य विभाग राजकुमार राम कहते हैं कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया अब ठेकेदार की जिम्मेदारी है फिर यह पूछने पर कि यदि ठेकेदार काम न करे तो आप क्या कार्यवाही करते हैं इस पर वह चुप्पी साध लेते हैं। मतलब साफ है कि सबकी मिली भगत है। सरकार और ठेकेदार गरीबों, दलितों आदिवासियों के विकास के नाम पर खेल-खेल रहे हैं और आम जनता सजा भुगत रही है।

निष्कर्ष

क्षेत्र में तालाबों के अध्ययन एवं उसकी दिशा-दशा जानलेने के पश्चात तथा तालाबों का सतत विकास के रूप में उसके महत्व को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इसे बचाना और बनाए रखना अति आवश्यक है। तालाब भौतिक जगत में रहने के साथ मानव मन और मानव तन का हिस्सा भी है, पर यह मन और तन का हिस्सा अब अलग हो रहा है क्योंकि मनुष्य के मन और तन पर लालच, भौतिकवाद, विकास का नशा चढ़ गया है और वह नशा ऐसा है मानों सबकुछ खत्म होने के बाद ही उतरेगा। तालाबों की दुर्दशा में अकेले नीति निर्माताओं की उदासीनता नहीं है, लोगों का गैर जागरूक रवैया भी बराबर का सहभागी है।

गांव के लोग पर्यावरणीय जरूरतों और सतत विकास नामक संकल्पना से दूर-दूर तक परिचित नहीं है। उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं कि तालाब का अवनयन उनसे किस हद तक की कुर्बानी ले सकता है? उनका खान-पान का साधन तो नष्ट हो ही रहा है, साथ ही नष्ट हो रही है, उनकी संस्कृति धार्मिक सामाजिक समरसता। इतना ही नहीं, जातीय संघर्ष, वैमनस्यता, बेरोजगारी, लाचारी, प्रवास आदि में तेजी से वृद्धि हो रहा है। जमीन के लालच में उनकी चौधियाई आँखें ये सब नहीं देख पा रही हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि देखना भी नहीं चाह रही हैं। तो फिर किस कीमत पर !! लोग जागरूक नहीं, वंचितों को सामर्थ्य नहीं, नीति निर्माताओं को चिंता नहीं, पर्यावरण विदों को फुसंत नहीं, और सरकारें उदासीनता से बाहर आना नहीं चाहती तो फिर कौन होगा उस स्वर्णीम युग को लौटाने वाला जहाँ तालाब की चौखट पर पूरी संस्कृति पलती थी? तालाब को बचाने के लिए बहुत ही गम्भीर प्रयास की आवश्यकता है, जिससे न केवल मानव का जीवन बल्कि प्रकृति के सभी जीवों के साथ-साथ पर्यावरण, सतत विकास, परम्परा, संस्कृति और धर्म की रक्षा हो सके।

¹⁹ जल विभाग, बिहार सरकार, रिपोर्ट 2011

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हार्डिन, गैरेट (1968). 'द ट्रेजरी ऑफ द कॉमन्स' वॉल्यूम 162 3859, पेज 43-48.
2. गुहा, रामचन्द्र (2006). 'उपयोग की लक्ष्मण रेखा' आक्सफोर्ड प्रेस, नयी दिल्ली.
3. मिश्र, अनुपम (1993). 'आज भी खरे हैं तालाब' कल्याणी शिक्षा परिषद, नयी दिल्ली.
4. ऑस्ट्राम, एलिनॉर, (1986). 'इस्यू ऑफ डिफिनिशन एण्ड थियरिज' नेशनल एकेडमिक प्रेस वासिंगटन डिसी, पेज 597-615
5. शिवा, वन्दना (1986). 'कमिंग ट्रेजरी ऑफ द कॉमन्स' इपिडब्लू.
6. पाण्डेय, जगदीश चंद्र (1986). 'समाज और पर्यावरण' प्रगति प्रकाशन, दिल्ली.
7. कुरियन, पॉल (1988). 'कॉमर्सियलाइजेशन ऑफ कॉमन प्रापर्टी' इपिडब्लू।
8. सिन्हा, सुबिर (1990). 'कॉमन प्रोपर्टी क्लोकिटव ऐक्शन एण्ड इकोलॉजी' इ0पी0डब्लू.
9. ऑस्ट्राम, एलिनॉर (1990). 'गवर्निंग द कॉमन' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
10. कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्स' सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
11. प्रोपर्टी रिजिम्स' इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रिब्यूशन देहरादून, पेज-22-32.
12. क्षेत्र सर्वेक्षण; मीव सुखारीपुर
13. पाशा, अजमल सइद (1991). 'सस्टनेबलिटी एण्ड वैविलिटी ऑफ स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स' इ0पी0 डब्लू.
14. हरिमोहन, (1996). 'संस्कृति, पर्यावरण और पर्यटन' तक्षशिला पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
15. राजू, वी0के0 (2004). 'ऑफ कॉमन रिसोर्स' इ0पी0 डब्लू.
16. गोडवा, एन0 मनोहरा (2004). 'कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्स एण्ड रूरल पूअर' इ0पी0 डब्लू.
17. स्टीवेन्सन, ग्लेंग (2005). 'कॉमन प्रोपर्टी इकोनामिक्स' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
18. फलेह, अली लाईक (2006). 'हमारा पर्यावरण' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत.
19. भल्ला, जी0एस0 (2007). 'भारतीय खेतिहरों की स्थिति' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत.
20. सिंह, कटार (2011). 'ग्रामीण विकास सिद्धांत नीतियाँ एवं प्रबन्ध' सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
21. मिश्रा, हरिकेश एन (2014). 'मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स' पी0एच0आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
22. सरकार, बिहार (2014). 'कैमूर भू-जल रिपोर्ट' सिंचाई विभाग, बिहार पटना.